बिहार सरकार

पर्यटन विभाग

प्रथम तल, बी0 ब्लॉक, एक्सटेंशन भवन, मुख्य सचिवालय, पटना।

Email- js. bihartourism@gmail.com, website: www.bihartourism.gov.in

संचिका संख्या०— पर्य०वि०प०(ता०)— 30 / 2023......1628...... दिनांक 10-7-2023

प्रेषक,

उप निदेशक,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

विषयः— डा० समीर कुमार सिंह, माननीय स०वि०प० द्वारा बिहार विधान परिषद् के 204वें सत्र में पूछे जाने वाले तारांकित ऑनलाईन प्रश्न संख्या— 1 / 204 / 321 को हस्तांतरित करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि डा० समीर कुमार सिंह, माननीय स०वि०प० द्वारा बिहार विधान परिषद् के 204वें सत्र में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न ड्राइविंग लाईसेंस जारी करने एवं इसके रिन्यूवल हेतु भुगतान किये जाने वाले राशि से संबंधित है। इस विषय का संबंध भवदीय के विभाग से है।

अतः उक्त प्रश्न को आवश्यक कार्रवाई हेतु हस्तांतरित किया जा रहा है। इस आशय की सूचना बिहार विधान परिषद् को भी दी जा रही है।

सादर।

अनु०— यथोक्त।

विश्वासभाजन,

उप निदेशक,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

Bihar Vidhan Parishad Question

1/204/321

नगद भुगतान के संबंध में

04/07/2023 04/07/2023

*1/204/321 डा. समीर कुमार सिंह (विधान सभा)

पर्यटन

(क) क्या यह सही है कि राज्य परिवहन विभाग द्वारा ड्राइविंग लाईसेंस एवं ड्राइविंग रिन्यूवल लाईसेंस के लिए सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान ऑनलाइन एवं नगद राशि के रूप में जमा किये जाने का प्रावधान किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि डी.टी.ओ. कार्यालय, पटना के काउन्टर संख्या- 18 में प्रतिनियुक्त कर्मी द्वारा शुल्क की राशि आवेदकों से नगद जमा करने पर जबरन साईबर कैफे में ऑनलाइन जमा करने के लिए बाध्य किया जाता है, जिसके कारण आवेदकों को बेवजह परेशान होना पड़ता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दोषी कर्मी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए शुल्क की राशि नगद के रूप में भी लेकर रसीद काटने का आदेश देना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?